इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 11 अंक : 6 जनवरी, 2019 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
नयी नियुक्तियाँ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
शब्दावली ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार ----------7
नयी पहलकदमी ---------- 12
बाजार की खबरें ----------12

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2018-19 की मुख्य बातें

मौद्रिक नीति समिति की 2018-19 की 5वीं द्विमासिक बैठक 3 दिसंबर, 2018 से 5 दिसंबर, 2018 तक आयोजित हुई। उक्त बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार थीं :

- अप्रैल, 2019 से खुदरा और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण एक बाह्य न्यूनतम मानदंड (benchmark) से संबद्ध किए जाएंगे।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (S LR) जनवरी, 2019 से तिमाही आधार पर 25 आधार अंकों की कटौती के साथ घटाकर 18% किया जाएगा।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति प्रस्तावित।
- अनिवासी भारतीय ब्याज दर व्युत्पान्नियों (derivatives) का क्रय-विक्रय कर सकेंगे।
- अप्रैल, 2019 से कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण संघटक।
- पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के प्रयोक्ताओं के लिए सीमित देयता।

बैंकों के लिए अप्रैल, 2020 से एनएसएफआर मानदंड : भारतीय रिजर्व बैंक

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) मानदंड जो बैंकों के लिए उनकी आस्तियों की संरचना और तुलनपत्र -बाह्य कार्यकलापों की तुलना में एक स्थिर निधीयन प्रोफाइल बनाए

रखना अनिवार्य बनाते हैं, अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगा। निवल स्थिर निधीयन अनुपात को अपेक्षित स्थिर निधीयन की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन की रकम के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) ने एक अपेक्षाकृत अधिक आघात-सह बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए कुछेक सुझाव प्रस्तावित किए थे।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बढाई गई ब्याजगत आर्थिक सहायता

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पोतलदानोत्तर और पूर्व–पोतलदान निर्यात ऋण पर ब्याजगत आर्थिक सहायता को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। निर्यातकों को यह आर्थिक सहायता 'पूर्व–पोतलदान और पोतलदानोत्तर पोतलदान रुपया निर्यात ऋण' पर ब्याज समकारी योजना' के अधीन प्राप्त होती है।

सेबी ने बाजार के छोटे मध्यवर्तियों के लिए आसान किए साइबर सुरक्षा परिचालन मानदंड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार के छोटे मध्यवर्तियों के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र गठित करने से संबन्धित दिशानिर्देशों को आसान बना दिया है क्योंकि उनके पास साइबर सुरक्षा की जानकारी का अभाव होता है। तदनुसार, वे बाजार के उस छोटे मध्यवर्ती सुरक्षा परिचालन केंद्र (SOC) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी स्थापना बाजार संबंधी मूलभूत सुविधा संस्थाओं (MIIs) द्वारा ऐसे मध्यवर्तियों को साइबर सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराने के लिए की जाने वाली है। उक्त सुरक्षा परिचालन केंन्द्रों की स्थापना एक ऐसी अलग संस्था/कंपनी के रूप में की जाएगी जिसमें बाजार संबंधी मूलभूत सुविधा संस्थायें उनमें कम से कम 51% हित की स्वामी होंगी। बाजार संबंधी सुरक्षा परिचालन केंद्र साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के लिए केवल प्रोद्योगिक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराएगा, किन्तु साइबर प्रतिभूति की लोग एवं प्रक्रिया संबंधी परिप्रेक्ष्य की व्यवस्था अब भी मध्यवर्तियों द्वारा की जानी होगी।

सेबी ने आसान बनाए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सीमाओं को मिलाने के मानदंड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सुविनियमित विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश सीमाओं को मिलाने से संबन्धित अपने मानदंडों को शिथिल कर दिया है। तदनुसार, 50% से अधिक का साझा स्वामित्व रखने वाली एकाधिक कंपनियों को उसी निवेशक समूह का भाग माना जाएगा तथा उनकी निवेश सीमाएं मिला दी जाएंगी।

महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी सूचना के लिए सेबी के नए मानदंड

बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 31 मार्च, 2019 से सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए महत्वपूर्ण हितकारी स्वामियों से संबन्धित विवरणों के बारे में निर्धारित प्रारूप में प्रकटन करना अनिवार्य कर दिया है। उक्त विवरणों में महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी तथा उसके साथ ही पंजीकृत स्वामी के नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) और राष्ट्रीयता का समावेश होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने शिथिल किए आस्ति प्रतिभूतिकरण नियम

क्षेत्र में विद्यमान निरंतर दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मामले में उनकी ऋण बहियों को प्रतिभूत करने से संबन्धित नियमों को शिथिल कर दिया है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पाँच वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले ऋणों को उन्हें अपनी बहियों में छ: माह तक रखने के बाद प्रतिभूत कर सकती हैं, बशर्ते गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी इन ऋणों के बही मूल्य का 20% अपने पास बनाए रखे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार सकल घरेलू उत्पाद के 6.5% तक सीमित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि अब कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) नियम-आधारित होगा और उसे सकल घरेलू उत्पाद के 6.5% तक सीमित कर दिया है।

यह सीमा अब 30 सितंबर के दिन 126.29 बिलियन अमरीकी डालर के समक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 160 बिलियन अमरीकी डालर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के बाँड़ों में एक्सपोजर को पहले ही नियम-आधारित कर रखा है जिसके द्वारा विदेशियों को बकाया ऋण के 6% तक निवेश करने की अनुमति प्राप्त है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री शक्तिकान्त दास	गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
श्री ए॰ एस॰ राजीव	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक आफ महाराष्ट्र
श्री शेनाय विश्वनाथ विठ्ठल	कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 दिसम्बर, 2018 के दिन बिलियन रुपए	28 दिसम्बर, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	27,523.10	3,93,404.30
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	25,757.50	3,68,077.20
1.2 सोना	1,478.50	21,224.40
1.3 विशेष आहरण अधिकार	102.4	1,462.70
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	184.7	2,640.00

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.74800	2.66400	2.59530	2.58440	2.61200
जीबीपी	1.00530	1.1656	1.2330	1.2862	1.3261
यूरो	-0.21380	-0.159	-0.063	0.060	**0.208**

जापानी येन	0.02880	0.028	0.016	0.023	0.034
कनाडाई डालर	2.54000	2.247	2.252	2.269	2.299
आस्ट्रेलियाई डालर	1.97750	1.936	1.950	2.168	2.248
स्विस फ्रैंक	-0.62250	-0.530	-0.433	-0.325	-0.215
डैनिश क्रोन	-0.08270	-0.0193	0.882	0.2268	0.3727
न्यूजीलैंड डालर	2.03500	2.018	2.080	2.158	2.255
स्वीडिश क्रोन	-0.07000	-0.070	0.214	0.365	0.518
सिंगापुर डालर	1.84500	1.835	1.835	**1.865**	1.920
हांगकांग डालर	2.20000	2.250	2.290	2.315	2.340
म्यामार	3.70000	3.700	3.740	3.800	3.830

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण

पोतलदानोत्तर ऋण से तात्पर्य है भारत से माल या सेवाओं के किसी निर्यातक को मंजूर कोई भी ऋण या अग्रिम अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत किसी शुल्क वापसी (duty drawback) के प्रतिफल स्वरूप या की प्रतिभूति पर माल के पोतलदान/सेवा प्रदान किए जाने के बाद ऋण प्रदान किए जाने की तिथि से विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग द्वारा निर्धारित वसूली अवधि के अनुसार निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की वसूली की तिथि तक किसी बैंक द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य ऋण और उसमें किसी निर्यातक को मंजूर किसी ऋण या अग्रिम का समावेश होता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

मुद्रा अदला-बदली (currency swap)

मुद्रा अदला-बदली एक मुद्रा में नकदी प्रवाह का किसी दूसरी मुद्रा में नकदी प्रवाह के साथ विनिमय होती है। उक्त नकदी प्रवाह किसी ऐसे ऋण दायित्व/बाध्यता के अधीन जिसमे

ऋणदाता अथवा उधारकर्ता का आशय मुद्रा जोखिम को समाप्त करना होता है, मूलधन और/अथवा ब्याज की चुकौती से संबन्धित हो सकता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी/फरवरी**, 2019 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थल**
1. प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	14 फरवरी से 16 फरवरी, 2019	एर्णाकुलम
2॰ प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	28 जनवरी, 2019 से 30 जनवरी, 2019	चेन्नै
3. प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	28 जनवरी, 2019 से 30 जनवरी, 2019	नई दिल्ली
4. प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रत्यक्ष (physical) विधि से कक्षा में प्रशिक्षण	23 जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2019	मुम्बई
5॰ प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रत्यक्ष विधि से कक्षा में प्रशिक्षण	16 से 18 जनवरी, 2019	प्रौद्योगिकी पर आधारित
6. प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रत्यक्ष विधि से कक्षा में प्रशिक्षण	19 से 21 जनवरी, 2019	मुम्बई
7. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन पर कार्यक्रम	21 से 23 जनवरी, 2019	मुम्बई

संस्थान समाचार

कारबार संपर्की/कारबार सुसाधक (BC/BF) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और

कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों।

महा प्रबन्धक मानव संसाधन सम्मेलन 13 फरवरी, 2019 को मुंबई में

संस्थान उसके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता/प्रभावशीलता के बारे में प्रति-सूचना एकत्र करने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से उद्योग की आवश्यकता को जानने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मानव संसाधन और प्रशिक्षण प्रमुखों का अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। उक्त सम्मेलन 13 फरवरी, 2019 को लीडरशिप सेन्टर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसमें चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट (CISI) लंदन के निदेशक श्री केविन मूर द्वारा इंटरऐक्टिव इंटीग्रिटी पर एक सत्र का संचालन किया जाएगा।

सूक्ष्म/स्थूल शोध प्रस्तावों के लिए आमंत्रण

संस्थान वर्ष 2018-19 के लिए सूक्ष्म आलेख और स्थूल प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.देखें।

हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च

फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.देखें।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है तथा इसके लिए पहली परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तुएं निम्नानुसार हैं :

- पारस्परिक निधियाँ जनवरी - मार्च, 2019
- बैंकों में नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019
- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार
किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण

घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5
6.45
6.4
6.35
6.3
6.25
5.2
6.15
6.1
6.05
6
5.95

जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, दिसम्बर, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

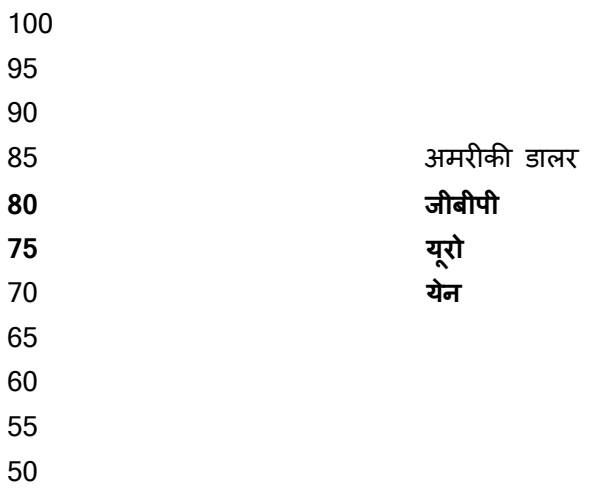

जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवंबर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

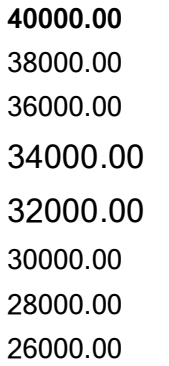

जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

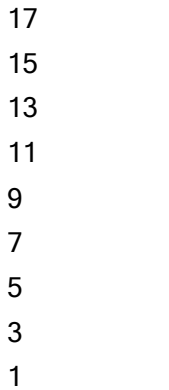

मई, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2018

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जनवरी, 2019